न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2018 / 00228 / 223

1. राजवीरसिंह पुत्र स्व0 सुरेन्द्रसिंह पौत्र रमेश सिंह,
2. सुश्री निशा कंवर पुत्री स्व0 सुमेर सिंह पौत्री रमेश सिंह, नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता श्रीमती विष्णु कंवर पत्नी स्व0 सुरेन्द्रसिंह,
3. श्रीमती विष्णु कंवर पत्नी स्व0 सुरेन्द्रसिंह पुत्रवधु रमेशसिंह, समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तह0 अंराई, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रमेशसिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मणसिंह, पौत्र स्व0 संग्रामसिंह,
2. कल्याणसिंह पुत्र रमेशसिंह पौत्र स्व0 लक्ष्मणसिंह, समस्त जाति राजपूत, नि0 ग्राम गोपालपुरा, तह0 अंराई, जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक, अंराई, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 11.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 178 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री नरेन्द्रसिंह राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः—14.1.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण / अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गोपालपुरा पटवार क्षेत्र झाडोल, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर अवस्थित आराजी खाता संख्या नया 16 के खसरा नंबर 35, 36, 119, 120, 121, 151, 223, 224 व 227 कुल किता 9 कुल रकबा 40—08—00 बीघा, खाता संख्या 17 के खसरा नंबर 228 रकबा 10 बिस्वा, खाता संख्या 18 के खसरा नंबर 232 रकबा 4—8—0 बीघा, खाता संख्या 22 के खसरा नंबर 26 रकबा 8—1—00 बीघा, खाता संख्या 23 के खसरा नंबर 314 रकबा 10—16—00 बीघा एवं खाता संख्या 118 के खसरा नंबर 244 रकबा 1—14—00 बीघा भूमियां लक्ष्मणसिंह पुत्र संग्रामसिंह का 1 / 5 हिस्सा, खाता संख्या 19 के खसरा नंबर 229 रकबा 8 बीघा में 2 / 5 हिस्सा, खाता संख्या 24 के खसरा नंबर 146 रकबा 12 बिस्वा में 1 / 16 हिस्सा, खाता संख्या 40 के खसरा नंबर 25 / 1 रकबा 68—13—00 बीघा

एवं खाता संख्या 117 के खसरा नंबर 29 रकबा 17 बिस्वा में 1/4 हिस्सा निहित करता है तथा खाता संख्या 161 के खसरा नंबर 22, 32, 145, 226 कुल किता 4 कुल रकबा 82–09–00 बीघा भूमि तन्हा रूप से लक्ष्मणसिंह पुत्र संग्रामसिंह के खातेदारी में रही । जिनके स्वर्गवास के पश्चात् स्व0 लक्ष्मणसिंह के हक व हिस्से की संपूर्ण भूमियां जरिये विरासत एवं भागीरथ सिंह द्वारा हक त्याग किये जाने से नामांतकरण संख्या 454 दिनांक 20.11.2014 से प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी है जबकि वादी/अपीलांट संख्या 1 व 2 का भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के तहत जन्म से तथा वादी/अपीलांट संख्या 3 का उनके पति सुरेन्द्रसिंह का स्वर्गवास हो जाने से हक, अधिकार एवं आधिपत्य निहित करता है । इस प्रकार स्व0 लक्ष्मणसिंह के हक हिस्से की पैतृक कृषि भूमियों में वादीगण/अपीलांटस को 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2018 को पारित कर वादीगण/अपीलांटस को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने बाबत् निर्णय व डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में निहित विवादित भूमि के संबंध में राजस्व वाद संख्या 178/2014 दिनांक 5.12.2014 को प्रस्तुत किया गया था जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन जारी करते हुए आगामी पेशी दिनांक 14.1.2015 नियत की गई । नियत पेशी दिनांक 14.1.2015 को प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री विजेन्द्रसिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 14.1.2015 से दिनांक 23.2.2018 तक निरन्तर जवाब वादपत्र हेतु विचाराधीन रही । दिनांक 23.2.2018 से आगामी पेशी दिनांक 25.4.2018 नियत की गई, जिसमें कांट–छांट कर दिनांक 20.4.2018 कर दिया गया परन्तु दिनांक 20.4.2018 को पत्रावली नियत पेशी में नहीं ली जाकर दिनांक 4.6.2018 को नियत करते हुए राजस्व कैम्प कोर्ट मण्डावरियां में दिनांक 11.6.2018 को नियत की गई किन्तु इस संबंध मे कोई लिखित नोटिस अपीलांट को प्रेषित नहीं किए गए । लिखित बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट को स्वंय के स्तर पर पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट मण्डावरियां में नियत होने की जानकारी होने पर उपस्थित हुए, जिस पर उपस्थिति दर्ज करवाये जाने के आशय से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये जबकि उभयपक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का कोई लिखित राजीनामा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । इसके अभाव में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2018 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने आर0बी0जे0 2006 पेज 513 राज0उच्च न्यायालय एवं आर0बी0जे0 2016 पेज 186 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 14.1.2015 से 11.6.2018 तक किसी प्रकार का कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया था, इस कारण आदेश 8 नियम 10 जा0दी0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत किसी प्रकार से निर्णय व डिक्री पारित किया जाना संभव नहीं था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विधि विरूद्ध रूप से वाद निर्णित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । इस

संबंध में आर0बी0जे0 1999 पेज 568 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया । अधी0न्याया0 द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना किसी लिखित राजीनामा के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2018 को पारित की है जिसे अपील के माध्यम से चुनौती दिया जाना अपीलांट का विधिक अधिकार है । इस संबंध में आर0बी0जे0 2004 पेज 261 मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय का दृष्टांत पेश किया । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट संख्या 1 व 2 नाबालिग है, जिनके हक, अधिकारों का सरंक्षण किया जाना आदेश 32 जा0दी0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत अधी0न्याया0 का उत्तरदायी रहा है परन्तु अधी0न्याया0 ने नाबालिग के अधिकारों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । उक्त कथन की पुष्टि में आर0बी0जे0 2007 पेज 83 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । आदेश 14 नियम 1 व 2 जा0दी0 के तहत साक्ष्य लिपिबद्ध कर दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाये बिना साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है । इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 द्वारा किसी भी पक्षकार की न तो साक्ष्य लिपिबद्ध की गई तथा न ही दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया था । इसके अभाव में अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री आर0बी0जे0 2007 पेज 695 में प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है । लोक अदालत अधिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के तहत लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों को निस्तारित किया जा सकता है जिन प्रकरणों के पक्षकारान द्वारा लिखित रूप से राजीनामा प्रस्तुत कर निर्णय किये जाने में सहमति प्रदान की गई हो किन्तु हस्तगत प्रकरण में किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का न तो लिखित राजीनामा पेश किया गया न ही कोई सहमति प्रदान की गई थी । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने हस्ताक्षरों पर पश्चात्वर्ती रूप से निर्णय लिखा है जो विधिविरूद्ध है । यह भी कथन किया कि जो व्यक्ति प्रकरण में पक्षकार नहीं है तथा न ही उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अभिवचन व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे तृतीय व्यक्ति के हक में विधिक प्रावधानों के तहत किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नही किया जा सकता है परन्तु अधी0न्याया0 ने विधिक प्रावधानों के विपरीत तृतीय व्यक्ति के हितों का समावेश करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा मूल वाद को विधिवत् जवाब, सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नवीन रूप से निर्णित किये जाने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 में ग्राम पंचायत मण्डावरिया द्वारा मजमें आम में स्व0 लक्ष्मणसिंह पुत्र संग्रामसिंह के पुत्र रमेश सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह की पारिवारिक वंशावली पेश की है । उक्त वंशावली को वादिया विष्णुकंवर द्वारा मजमे आम में स्वीकार किया गया है । वंशावली के अनुसार स्व0 रमेशसिंह के दो पुत्र स्व0 सुरेन्द्रसिंह वादिया के पति तथा कल्याणसिंह पुत्र, ममता कंवर पुत्री तथा पत्नि मनराज कंवर है । अधी0न्याया0 ने उक्त वंशावली के अनुसार वादीगण/अपीलांटस को विवादित आराजियात में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । बहस में आगे कथन किया कि पिता के जीवनकाल में पुत्र एवं पुत्री दावा नहीं ला सकते है । अपीलांट का यह कथन कि उन्हें प्रकरण को कैम्प में रखे जानकारी नहीं थी किया गया कथन उचित नहीं है क्योंकि कैम्प में वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित थे जिसमें पक्षकारान से सहमति से बंटवारा करने का कथन किया था । अधी0न्याया0 ने राजीनामे के आधार पर कैम्प कोर्ट में वाद को निर्णित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । ममता कंवर

पुत्री रमेशसिंह भी खातेदार की पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत उसे भी खातेदारी अधिकार दिये गये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस का मुख्य ने वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 16 में वादीगण/अपीलांटस के पूर्वाधिकारी पड़दादा/दादेर ससुर लक्ष्मणसिंह पुत्र संग्रामसिंह के नाम 1/5 हिस्सा, खाता संख्या 17 में 1/5 हिस्सा, खाता संख्या 18 में 1/5 हिस्सा, खाता संख्या 19 में 2/5 हिस्सा, खाता संख्या 22 में 1/5 हिस्सा, खाता संख्या 23 में 1/5 हस्सा, खाता संख्या 24 में 1/16 हिस्सा, खाता संख्या 40 में 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 117 में 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 118 में 1/5 हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज होने तथा खाता संख्या 161 में दर्ज संपूर्ण आराजियात वादीगण के पूर्वज लक्ष्मणसिंह पुत्र संग्रामसिंह के नाम दर्ज होने का कथन कर वादपत्र के पैरा संख्या 3 में दर्शाये अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2018 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को खाता संख्या 16 में 1/4 हिस्से का, खाता संख्या 17 में 1/4 हिस्से का, खाता संख्या 18 में 1/4 हिस्से का, खाता संख्या 19 में 1/4 हिस्से का, खाता संख्या 22 में 1/4 हिस्से का, खाता संख्या 23 में 1/4 हिस्से का, खाता संख्या 24 में 1/4 हिस्से का, खाता संख्या 40 में 1/4 हिस्से का, खाता संख्या 118 में 1/4 हिस्से का, खाता संख्या 161 में 1/4 हिस्से का, खाता संख्या 117 में 1/32 हिस्से का वादीगण संख्या 1 से 3 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया है । अपीलांटस ने अपील में कथन किया कि अधी0न्याया0 को वाउदीगण/अपीलांटस को 1/4 हिस्से के बजाय 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित सजरा को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः रमेशसिंह कल्याणमल द्वारा गलत होना बताया गया तथा ग्राम पंचायत मण्डावरिया द्वारा मजमे आम स्व0 लक्ष्मणसिंह पुत्र संग्रामसिंह के पुत्र रमेश सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह की पारिवारिक वंशावली प्रस्तुत की गई । उक्त वंशावली को वादिया विष्णुकंवर द्वारा मजमे आम में स्वीकार किया गया कि रमेशसिंह के दो पुत्र क्रमशः स्व0 सुरेन्द्रसिंह वादिया के पति तथा कल्याणसिंह पुत्र, ममता कंवर पुत्री तथा पत्नि मनराज कंवर है । यह भी स्वीकार किया कि वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 के दादा स्व0 लक्ष्मणसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 3 के दादेर ससुर से प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है । अतः राजस्व ग्राम गोपालपुरा स्थित जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 40, 118, 116 में वर्णित सहखातेदारी की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 रमेशसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह के हिस्से में वर्णित भूमि में से वादी संख्या 1, 2, व 3 का 1/4 हिस्सा बनता है । इस प्रकार वादिया द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष 1/4 हिस्से बाबत् सहमति दिये जाने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से मजमे आम में जानकारी कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष 1/4 हिस्सा होने की स्वीकारोक्ति के उपरांत अपने कथनों से बाधित है । अधी0न्याया0 ने वादिया/अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 1 रमेशसिंह की सहमति उपरांत वाद को डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य

तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.1.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर